

फर्द अटकम

(नियम 26)

सायालय उपखण्ड आधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सुजानादं
पीठासीन आधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.
 वाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट मु.नं. 108/सन 2019

तारीख

17.10.2019

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जल

नम्बर व तारीख
अटकम वा हुकम
हुकम की तारीख
में जारी हुए

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं राजस्थान मू
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत हरकाम में जारी अधिवक्ता पेश
 किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाये।

प्रकरण में स्पष्टित तथ्य इस प्रकार से है कि वादी हरकाम पुत्र अर्जुनराम जाति
 जाट निवासी बाधसरा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट
 पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बाधसरा की जमाबन्दी संवत् 2076-79 खाला
 संख्या 440 में हरखाराम लिखा हुआ है। ग्राम करेजडा कि जमाबन्दी संवत् 2075-78
 के खाला संख्या 36 में वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है। वादी का सही नाम
 हरकाम पुत्र अर्जुनराम है अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरकाम पुत्र
 अर्जुनराम दर्ज करने की कृपा करें।

उदाहरण देते हुए देखा। पत्रावली राज न नाम इस्ती की अनुशाषा की।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्धसीलदार सागासर की अनुशाषा के
 आधार पर राजस्थान मू- स अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट
 136 एल आर एक्ट के अनुसरण में ग्राम बाधसरा की जमाबन्दी संवत् 2076-79 खाला
 संख्या 440 में हरखाराम लिखा हुआ है। ग्राम करेजडा कि जमाबन्दी संवत् 2075-78
 के खाला संख्या 36 में वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है। वादी का नाम हरखाराम
 लिखा हुआ है। वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है। वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है।
 वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है। वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है। वादी का नाम हरखाराम लिखा हुआ है।

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अर्जुनराम प्रविष्टि)	राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है)
1	बाधसरा	440	हरखाराम पुत्र अर्जुनराम	हरकाम पुत्र अर्जुनराम
2	करेजडा	36	हरखाराम पुत्र अर्जुनराम	हरकाम पुत्र अर्जुनराम

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानादं को भिजाई जाये। पत्रावली
 निर्णय में सुमार होकर हरख जाका दाखिल दफतर हो।
 निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को में द्वारा लिखाया जाकर बसने इजालास में
 सुनाया गया।

उपखण्ड आधिकारी एवं
सुजानादं

पदेन सहायक कलेक्टर, सुजानादं